

**बिहार प्रशासनिक सेवा संघ**  
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001  
(पंजीयन सं०-633/2003)  
E-mail : basa\_bihar@yahoo.com



पत्रांक : 23

दिनांक 9/7/09

**अध्यक्ष**

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295  
(M) 9939469410  
(R) 0612-2526123

\*\*\*

**उपाध्यक्ष**

\* शम्भू नाथ मिश्र

(M) 9431619672  
(O) 9334387630  
(F) 0612-2504498  
(R) 0612-2288139

\* अख्ताक अहमद

(M) 9934280177  
(O) 0612-2219693

\*\*\*

**महासचिव**

सुशील कुमार

(M) 9431091417  
(O) 9431818484

\*\*\*

**संयुक्त सचिव**

\* राजयनन्द खडियार

(M) 9431093157  
(O) 9431818010

\* अनिल कुमार

(M) 9431409463

\*\*\*

**कोषाध्यक्ष**

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

\*\*\*

**संयुक्त कोषाध्यक्ष**

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901  
(O) 9334387555

सेवा में,

जिलाधिकारी  
नवादा

विषय:-प्राथमिकी दर्ज करने में गृह सचिव के पत्र का अनुपालन नहीं करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि श्री शम्भू कुमार, तत्कालीन प्र० वि० पदा०, नादरीगंज पर ननौरा ग्राम पंचायत में इन्दिरा आवास लाभार्थियों को दोहरा लाभ दिये जाने के विषय पर परिवादी अशोक पासवान, साकीन-गोतरायन, (ननौरा) नादरीगंज द्वारा दाखिल परिवाद पत्र पर थाना अध्यक्ष, नादरीगंज द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है।

ज्ञातव्य हो कि गृह सचिव का पत्रांक 6211 दिनांक 09.06.08 के द्वारा सभी जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को निदेश दिया गया था कि "यदि किन्ही परिस्थिति में पाया जाता है कि विभाग या संगठन से संबंधित पदाधिकारी/कर्मों के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान से परामर्श से ही अपराधिक मामले दर्ज किया जाय।"

उपरोक्त निदेश के बावजूद थाना अध्यक्ष, नादरीगंज द्वारा किस परिस्थिति में तत्कालीन प्र० वि० पदा० पर प्राथमिकी दर्ज की गयी, के संबंध में तत्कालीन प्र० वि० पदा० द्वारा दिये गये आवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय।


विश्वासभाजन

  
(सुशील कुमार)  
महासचिव

ज्ञापांक:- 23

दिनांक:- 9/7/09

- प्रतिलिपि:-
1. आरक्षी अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी समीक्षा कर वस्तुस्थिति से संघ को अवगत कराया जाय।
  2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
  3. अध्यक्ष/सचिव बिहार प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।
  4. श्री शम्भू कुमार, तत्कालीन प्र० वि० पदा०, नादरीगंज, नवादा सम्प्रति प्र० वि० पदा०, चकिया (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(सुशील कुमार)  
महासचिव